कार्यालय अधिषासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

☎ /फैक्स नं0 05963&253127 ई–मेलः– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः-136/वनभूमि /पी0एम0जी0एस0वाई0/ /2022–23, दिनांक :– 12 /05/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग बागेश्वर,

विषयः– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंन्तर्गत कपकोट कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.734 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।** (Online No. FP/UK/Road/13374/2015)

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय की फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/226/2015/एफ0सी0/964 दिनांक 11/10/2022 ।**

क्र0सं0	ई0डी0एस0	उत्तर
1	के0एम0एल0 फाईल का अवलोकन करने के उपरान्त, प्रस्तावित एवं अनुमोदित समरेखण मे परिवर्तन पाया गया है। एक जगह पर तीन हेयरपिन बैण्ड के बजाय केवल एक हेयरपिन बैण्ड का निर्माण किया गया है। तथा विभिन्न स्थानो पर सडक के नीचे की वनस्पतियो को नुकसान पहुँचाया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावित समरेखण मे परिवर्तन करना एफ.सी.ए. 1980 के नियमो का उल्लघन प्रतीत होता है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है। कि इस हेतु सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी द्वारा सडक का निरीक्षण करवाकर निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रेषित करने का कष्ट करें।	पूर्व में जो समरेखण मोटर मार्ग का किया गया था उसमें तीन HP band प्रस्तावित थे परन्तु निरीक्षण के दौरान ग्रामवासीयों द्वारा आपत्ति की गई की मोटर मार्ग में 1 HP band का ही निर्माण किया गया 3 HP band से नाप भूमि में अधिक नुकसान होगा तत्पश्चात में एक हि HP band का निर्माण किया हैं। परन्तु पूर्व में uplood KML को change नही किया गया। एवं अन्य स्थानो पर दैवीय आपदा से मोटर मार्ग में स्लाईड जोन बन गये हैं। परन्तु मोटर मार्ग के निर्माण के दैरान वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुचाया गया हैं। और ना हि एफ.सी.ए. 1980 के नियम का उल्लंधन किया गया।
2	राज्य सरकार से अनुरोध है। कि विधिवत स्वीकृति से पूर्व भरतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप मे अधिसूचित किये जाने की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	खण्ड द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप मे अधिसूचित करने का प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रेषित कर दिया गया था

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0आई0यू0–II,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

Scanned with OKEN Scanner